उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या 64/41-1-2025-CN-1785803-24
लखनऊ: दिनांक 27 जनवरी, 2025
शासनादेश संख्या-1019/3159/41-1-2024-सी०एन०-1785803-24, दिनांक 27.12.2024 का
शुद्धि-पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-9100/6-1-1(रा०पी०विविध-1)/2024-25. दिनांक 23 जनवरी, 2025 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद वि०स० के अन्तर्गत स्थित ग्राम जोत में महर्षि जमदात्रि आश्रम में सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1019/3159/41-1-2024-सी०एन०-1785803-24 दिनांक 27.12.2024 के प्रस्तर-4 में अंकित लेखाशीर्ष 452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर लेखा शीर्ष 5452801040800-गुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास अंकित करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2 अतः उक्त शासनादेश संख्या-1019/3159/41-1-2024-सी0एन0-1785803-24, दिनांक 27 12.2024 के प्रस्तर-4 में अंकित लेखाशीर्ष 452801040800-गुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के स्थान पर लेखा शीर्ष 5452801040800-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास पढ़ा एवं समझा जाय।

तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 27.12.2024 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि०।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक, पर्यटन, लखनऊ कानपुर मण्डल।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रक) अनुभाग-7
11. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in